Vol 6 Issue 4 Jan 2017

ISSN No : 2249-894X

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Review Of Research Journal

Chief Editors

Ashok Yakkaldevi
A R Burla College, India

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies,
Sri Lanka

Welcome to Review Of Research

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2249-894X**

Review Of Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Manichander Thammishetty
Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad.

Advisory Board

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Fabricio Moraes de AlmeidaFederal
University of Rondonia, Brazil

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Xiaohua Yang
University of San Francisco, San Francisco

Karina Xavier
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

May Hongmei Gao
Kennesaw State University, USA

Marc Fetscherin
Rollins College, USA

Liu Chen
Beijing Foreign Studies University, China

Mabel Miao
Center for China and Globalization, China

Ruth Wolf
University Walla, Israel

Jie Hao
University of Sydney, Australia

Pei-Shan Kao Andrea
University of Essex, United Kingdom

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pintea
Spiru Haret University, Romania

Mahdi Moharrampour
Islamic Azad University buinzahra Branch, Qazvin, Iran

Titus Pop
PhD, Partium Christian University, Oradea,
Romania

J. K. VIJAYAKUMAR
King Abdullah University of Science & Technology,Saudi Arabia.

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences
Al. I. Cuza University, Iasi

REZA KAFIPOUR
Shiraz University of Medical Sciences
Shiraz, Iran

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

Nimita Khanna
Director, Isara Institute of Management, New Delhi

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

P. Malyadri
Government Degree College, Tandur, A.P.

S. D. Sindkhedkar
PSGVP Mandal's Arts, Science and Commerce College, Shahada [M.S.]

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

C. D. Balaji
Panimalar Engineering College, Chennai

Bhavana vivek patole
PhD, Elphinstone college mumbai-32

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut (U.P.)

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

Jayashree Patil-Dake
MBA Department of Badruka College Commerce and Arts Post Graduate Centre (BCCAPGC),Kachiguda, Hyderabad

Maj. Dr. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

AR. SARAVANAKUMARALAGAPPA UNIVERSITY, KARAIKUDI,TN

V.MAHALAKSHMI
Dean, Panimalar Engineering College

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University

Kanwar Dinesh Singh
Dept.English, Government Postgraduate College , solan

More.....

REVIEW OF RESEARCH

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 3.8014(UIF)
VOLUME - 6 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2017

छत्तीसगढ में विकेन्द्रीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण

डॉ. अशोक कुमार जायसवाल
संकाय सदस्य (पंचायतराज) ,
ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा,रायपुर छत्तीसगढ .

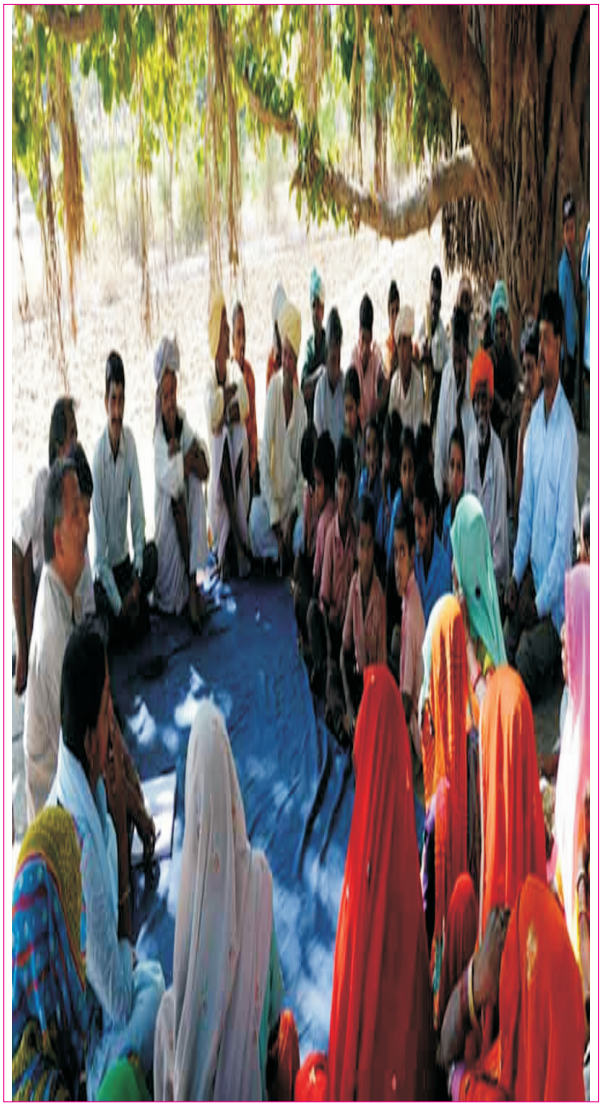

शोध सारांश

भारत के संविधान की मंशा के अनुरूप ग्राम पंचायतों की वर्तमान भूमिका स्थानीय लोक शासन की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ईकाई के रूप में कार्य कर रही संस्था की है । यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि यह भूमिका अतिशीघ्र साकार होकर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रमुख संस्था के रूप में स्वशासी एवं स्वतंत्र शासन की इकाई के रूप कार्य करने वाली संस्थाओं में होने जा रही है ।

अभी तक 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत दी गई व्यवस्था अनुसार कार्य किया गया है। 13वें वित्त आयोग अंतर्गत लिए गये कार्यों के मिश्रित परिणाम रहे हैं, जिनके देशव्यापी अनुभव एवं विभिन्न अध्ययनों के उपरान्त 14वें वित्त आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गई कि नई व्यवस्था में 14वें वित्त आयोग अंतर्गत दी जा रही राशि शत् प्रतिशत ग्राम पंचायतों को सौपीं जाये । इसके पीछे भारत सरकार और राज्य सरकार का यह विश्वास है कि हमारी ग्राम पंचायतें सशक्त होकर पूरी जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करती आई हैं और 14वें वित्त आयोग अंतर्गत कार्यों की सफल योजना बनाकर उचित प्रकार से उनका कियान्वयन कर बेहतर निगरानी कर सकने की क्षमता रखती हैं ।

यह सत्य है कि ग्राम पंचायतों के पास ग्राम के विकास के लिये योजना बनाने का अनुभव पहले से ही है, कहीं एकीकृत जिला योजना के अंतर्गत तो कहीं एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन योजना बनाने के रूप में । विकेन्द्रीकृत नियोजन हमेशा से एक आदर्श के रूप में परन्तु ग्राम पंचायत स्तर पर एक निश्चित समय–सीमा में ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाने की अवधारण पहली बार देशव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई है । इस तारतम्य में भारत सरकार की पहल से यह प्रयास किया जा रहा है कि ग्राम पंचायतें जनभागीदारी से अपने विकास के लिए स्वयं ही योजना का निर्माण करें ।

डॉ. अशोक कुमार जायसवाल

Key Word :-Clause, Economic and Social Development, Social Justice, Finance Comission, Tax and Fees, Decenterlised and Autonomibody.

भूमिका :–

सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण विकास' मानव तथा समाज के सर्वांगीण एवं सतत् विकास के तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण स्तंभ हैं । इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित आधारभूत अधोसंरचनाओं, सेवा सुविधाओं एवं स्व–शासन (गवर्नेन्स) में सुधार लाने के लिये स्थानीय समुदाय, विशेषकर वंचित समुदायों का इनसे जुड़ना अत्यन्त महत्वपूर्ण है ताकि अपने विकास में वे लोकतांत्रिक रूप से स्वयं भागीदार हो सकें एवं शासन की व्यवस्था का लाभ प्राप्त कर सकें ।

यह एक सत्य है कि किसी भी ग्राम अथवा ग्राम पंचायत के विषय में स्थानीय निवासियों को बाहरी व्यक्तियों / संस्थाओं से बेहतर पता होता है कि उनकी स्थिति क्या है, कैसी है, उनकी समस्याएं क्या हैं एवं उनकी स्थिति में सुधार के लिये स्थानीय स्तर पर किन उपायों की आवश्यकता है । इसी कारण ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जनभागिदारी से बनायी गई योजना का अत्यन्त महत्व है । इसी कारण यह सुनिश्चित किया जाना है कि सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण से लेकर ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने वाले समस्त प्रस्तावित कार्यों का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है ।

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण का उद्देश्य :–

जनभागीदारी से विकेन्द्रीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण का मूल उद्देश्य है :–

स्थानीय लोगों को ग्राम सभा के सदस्य के रूप में अपने विकास के विषय में सामूहिक निर्णय लेने के अधिकार से जोड़ना और ग्राम पंचायतों द्वारा स्व–शासन की इकाई के रूप में प्रभावी कार्य करने के लिये सशक्त करना ।

स्थानीय समुदाय में अपनी बनाई योजना के प्रति स्वामित्व की भावना विकसित करना ।

भारत का संविधान एवं राज्य पंचायती राज अधिनियम, दोनों, पंचायतों द्वारा स्थानीय आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए नियोजन पर बल देते है। स्थानीय नियोजना की प्रक्रिया अपनाने के बहुत–से फायदे व लाभ है, उनमें से कुछ निम्नलिखित है :–

• यह समुदाय को अपनी स्थिति समझने, अपनी समस्याओं के निदान करने एवं अपने अधिकारों तथा हकों के प्रति जागरूक होने के लिये प्रेरित करता है । समुदाय को स्थानीय विकास हेतु योजना निर्माण एवं कियान्वयन क संभावनाओं के बारे में अवगत कराता है और अपने व्यक्तिगत तथा सामुदायिक विकास की आवश्यकताओं को पहचानने में सहायता करता है ।

• समुदाय को मिलने वाले लाभों, लागत व वित्तीय प्रबंधन के मानदंडों का सार्वजनिक रूप से निर्धारण किया जा सकता है ।

• इसमें स्थानीय स्तर पर अनुभूत आवश्यकताओं को समाविष्ट किया जाता है।

• इसमें स्थानीय क्षमताओं का बेहतर उपयोग होता है।

• इसमें स्थानीय जरूरतों व मांग के आधार पर आधारभूत स्तर से अभिसरण (कन्वर्जेंस) हेतु एक प्रचालन प्रणाली अपनाए जाने की परंपरा कायम होती है।

• यह पंचायत क्षेत्र के भीतर वंचित / छूट गये लोगों तक पहुच बनाने में मदद करती है।

• यह विभिन्न समूहों की विविधतापूर्ण जरूरतों का ध्यान रखती है।

• यह सभी वर्गों के संघटक एंव शासन में उनकी प्रतिभागिता समर्थन बनाती है।

• यह स्थानीय विकास प्रयासों में लोगों के ज्ञान एवं उनकी बुद्धि का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है।

• यह नागरिको एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की विकास की समझ को बढ़ाती है।

• यह संसाधनों / हकदारियों / सेवाओं तक आसान पहुंच कायम करती है।

• यह विभिन्न स्रतों, विशेषकर केंद्रीय प्रयोजित योजनाओं की निधियों का बेहतर उपयोग और समावेशन को सुनिश्चित करती है।

• यह पंचायतों एवं स्थानीय नागरिकों के बीच बेहतर संबंध कायम करती है।

• यह उत्तरदायी शासन का नेतृत्व करती है।

• यह बढ़े हुए स्थानीय संसाधन के संघटक को सुलभ बनाती है।

• यह मितव्ययिता एवं सक्षमता को बढ़ावा देती है।

• यह अपने नागरिकों के प्रति स्थानीय सरकार की प्रत्यक्ष जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

• यह सक्रिय ग्राम सभा (जीएस) एवं अन्य स्थानीय संस्थानों और ढांचे को कियाशीन निकाय के रूप में सक्रिय करने में सकायक है।

• यह नए / कटिंग एज सरकारी कर्मियों को सक्रिय करती है।

यह स्थानीय लोकतंत्र एवं स्थानीय स्वामित्व को प्रोत्साहन देती है।सामुदायिक एकता से विभिन्न समूहों के मध्य आपसी विश्वास एवं पारस्परिक समझ का विकास जिसमें विभिन्न समूहों को अपनी बात रखने की अवसर मिलता हो ।

प्रत्येक सदस्य को जनहित में अपना विचार व्यक्त करने, प्रस्तावों पर चर्चा करने एवं संशोधन करने का समान अधिकार व अवसर देता है ।

इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि स्थानीय स्तर पर कुछ व्यक्ति या समूह शक्तिसंपन्न होते हैं जिससे चर्चा अथवा नियोजन प्रक्रिया में अभिजात वर्ग के प्रभुत्व का खतरा उत्पन्न हो जाता है । अतः समुदाय यह निर्णय ले कि सबसे कमजोर व वंचित व्यक्तियों को अपनी बात सबसे पहले रखने का मौका मिले एवं उनकी आवश्यकताओं को समुदाय द्वारा प्राथमिकता से लिया जाये ।

• इस प्रक्रिया से नियोजन में ही सहायता नहीं मिलती बल्कि स्थानीय लोगों की क्षमता विकास भी करती है जैसे बैठक आयोजित करना, आंकड़ों का सामान्य सूझबूझ से विश्लेषण कर पाना, रणनीति बनाना जिसके माध्यम से वे स्वयं समुदाय के लिये स्त्रोत व्यक्ति या नेता के गुणों को सीख सकते हैं ।

ग्राम पंचायत विकास योजना स्थानीय रूप से उपयुक्त एवं कम लागत वाले विभिन्न स्थानीय मॉडल एवं नवाचारों को बढ़ावा देती है। यह ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्व–शासन के संस्थानों के रूप में परिवर्तित होने में तदद करती है एवं विकास की संस्था के रूप में ग्राम पंचायतों की पहचान को सुदृढ़ करती है। स्थानीय स्तर पर बनायी गई योजना, अबद्ध संसाधनों को सक्षमता एंव जवादेही से उपयोग करने का एक मात्र रास्ता भी होगा यह विभागों को स्थानीय जरूरतों के प्रति उन्मुख करने का जरिया भी है और यह ग्राम पंचायतों का बीच अपने प्रदर्शन हो बेहतर बनाने की प्रतिस्पर्धा करने को अभिप्रेरित करती है। कुल मिलाकर, एक ग्राम ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए सहभागितापूर्ण नियोजन प्रकिया :–

• सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाएगी

VOLUME - 6 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2017

• नागरिक संबंधों को मजबूत बनाएगी
• स्वयंसेवा की भावना को अभिप्रेरित करेगी
• लोक संस्थानों एवं समूह के परस्पर संबंधों को कायम करेगी
• स्थानीय स्तर पर शासन में सुधार लाएगी

प्रस्तावित ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान बनाने में इन दो बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाना है:–

क) आवश्यकताओं एवं निदानों की प्राथमिकता ग्राम सभा द्वारा तय की जायेगी ।
ख) ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई योजना में किसी अन्य स्तर द्वारा किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
ग्राम पंचायतों को अपनी योजना, अपनी आवश्यकता के आधार पर बनाने के लिए प्रेरित करने और दिशा देने के उद्देश्य से बनाई गई है कुछ बातों को ग्राम पंचायतें अपने तरीके से करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं परन्त राज्य में पंचायतों के मध्य योजना निर्माण प्रक्रिया में एकरूपता रहे इस लिए कुछ बातों को अनिवार्य भी रखा जा रहा है ताकि पंचायतों के स्व–शासी एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने की संवैधानिक मंशा एवं स्थानीय विविधता का सम्मान हो, साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के 10,971 ग्राम पंचातयों की योजनाओं में एकरूपता भी रहे ।

ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान हेतु नियोजन इकाई (Planning Unit) :–

ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान बनाने की इकाई ग्राम पंचायत होगी जिसमें उसके आश्रित ग्रामों की आवश्यकताओं एवं निर्धारित मानदंडों के अनुरूप योजना बनाई जायेगी । यदि किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हों तो उन ग्रामों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उस ग्राम पंचायत की योजना बनायी जाये । प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए फेसीलिटेशन कार्यों को पांच–पांच ग्राम के क्लस्टर पर लिया जायेगा जो आंतरिक करारोपण एवं लेखा परीक्षण अधिकारी के क्लस्टर निर्धारित किये गये है । परन्तु योजना ग्राम पंचायतवार ही बनाई जायेंगी और संबंधित ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित की जायेंगी ।

छत्तीसगढ राज्य में विकेन्द्रीकृत ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान : नई सोच:–

छत्तीसगढ़ राज्य में विकेन्द्रीकृत नियोजन का कार्य राज्य गठन के समय से किये जाने का प्रावधान है । केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2015 से जनभागीदारी से विकेन्द्रीकत ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान बनाये जाने का निर्णय लिया गया ताकि स्व–शासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतें स्वयं अपनी योजना बनाकर विकास के कार्यों को शासकीय एवं गैर–शासकीय सहयोग से संपादित करा सकें ।

पारम्परिक रूप से बनाये जा रही योजना एवं नये स्वरूप के ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान के मध्य मूल अंतर यह है कि पारम्परिक रूप से बनाई जा रही योजनाएं प्रमुखतः आपूर्ति प्रेरित (सप्लाई ड्रिवन) है जबकि ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान मांग आधारित है जो ग्राम सभा द्वारा व्यक्त की गई इच्छा–सूची, आवश्यकताओं एवं सुझावों और गहन चिंतन उपरान्त निर्धारित की गई प्राथमिकताओं पर केन्द्रित है ।

छत्तीसगढ़ में 'ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान अभियान – हमर गांव, हमर योजना :–

ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान' निर्माण की प्रक्रिया में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण नागरिकों को योजना निर्माण से जुड़ने के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से जानकारी हो ताकि वे अपने विकास की योजना बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी दे सकें ।

स्थानीय समुदायों को 'ग्राम पंचायत विकास योजना' निर्माण से सघन व सक्रिय रूप से जोड़ने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा इसे मिशन मोड में 'हमर गांव, हमर योजना' अभियान के रूप में लिया जा रहा है । राज्य के समस्त 10,971 ग्राम पंचायतों में इसे क्रियांवित किये जाने का राज्य शासन द्वारा आहवाहन किया जा रहा है । अभियान को जन–जन तक व्यापक रूप से पहुँचाने के लिये निम्न प्रकार के माध्यमों का उपयोग करके ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान निर्माण को एक उत्सव का रूप दे सकते हैं :–

- पोस्टर
- पैम्फलेट्स
- हैण्डबिल्स
- पुस्तकें और पुस्तिकाएं
- गीत–संगीत, नुक्कड़ नाटक
- नारे
- दीवार लेखन
- स्कूलों में निबंध लेखन – ('ग्राम पंचायत के विकास' जैसे विषयों पर)
- ग्राम सभा के पूर्व नगाड़ों, लाउड–स्पीकर का उपयोग
- प्रभात फेरी
- मार्गदर्शिका की प्रति का संप्रेषण इत्यादि

योजना निर्माण में भाषा व लेखन शैली – सरल व सहज शैली में लेखन एवं आंकड़ों, चित्रों, मानचित्रों के साथ–साथ आवश्यकतानुसार विस्तृत विवरण (narrative):–

ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान बनाने में सरल, सहज व स्पष्ट भाषा का उपयोग किया जाये ताकि ग्राम पंचायत के कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से योजना को समझ सकें । योजना के निर्माण में आंकडों का उपयोग भी किया जायेगा परन्तु आंकड़ें मात्र आंकड़ों के रूप में ना हो अपितु आंकडों में दर्शायी गयी स्थिति के अनुरूप योजना बनाने में उपयोग की जाये । अर्थात् परिस्थिति विश्लेषण के आंकड़ों व आवश्यकतानुसार जी.पी.डी.पी योजना निर्माण हो ।

उदाहरण – यदि कृषकों की वर्गवार संख्या के विषय में आंकड़े दिये गये हों जैसे भूमिहीन कृषि मजदूर, छोटे सीमांत किसान, बड़े किसान, पशुधन पालक,

कुक्कुट पालक, उद्यानिकी कर रहे छोटे किसान, रेशम कीट पालक, मधुमक्खी पालक, वन क्षेत्रों में खेती कर रहे आदिवासी किसान इत्यादि, तो योजना में यह स्पष्ट दर्शाया जाये कि कृषकों के भिन्न भिन्न वर्गों के लिये किस प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होगी । इस संबंध में आवश्यकतानुसार वर्णनात्मक विवरण (narrative) भी प्रस्तुत किया जाये ताकि पाठक आंकड़ों को बेहतर समझ सकें ।

अधोसंरचना निर्माण के संबंध में आवश्यकतानुसार चित्रों/मानचित्रों के माध्यम से योजना में उन स्थानों को यथा संभव दर्शाने का प्रयास किया जाये जहां निर्माण कार्यों को प्रस्तावित किया जा रहा हो । उदाहरण – चेकडैम, स्टापडैम, पानी की टंकी इत्यादि । इस कार्य में जहां तक संभव हो खसरा क्रमांक, प्रस्तावित निर्माण स्थल इत्यादि का विवरण का वर्णन किया जाये । यदि संभव हो तो जीआईएस मैपिंग (Geographic Information System) और स्थानिक संदर्भ डेटा (patial reference data) का उपयोग किया जा सकता है ताकि प्राकृतिक संसाधनों (वन, कृषि–वानिकी, जल) और अधोसंरचना के विकास और प्रबंधन के लिये प्लानिंग में सहायता हो सके । इसके लिये एन.आई.सी, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (CGCOST) चिप्स अथवा एन.आई.सी से संपर्क किया जा सकता है ।

ग्राम पंचायतें अपनी ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान (जी.पी.डी.पी) निर्माण में निम्नानुसार मुख्य बातों का ध्यान रखेंगी :–
1.योजना ऐसी हों जो प्रमुखतः निम्नलिखित क्षेत्रकों पर आधारित हों
क.आर्थिक विकास
– कृषि एवं सिंचाई सहित संबंधित क्षेत्र
– स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्द्धन एवं उत्पादन
सूक्ष्म उद्यम
सामाजिक उद्यम
– स्थानीय सेवाएं – 14वे वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार
– वित्तीय समावेशन – ताकि ग्राम पंचायत के समस्त लोगों को वित्तीय संसाधनों तक पहुॅने का समान अवसर व लाभ मिल सके ।

ख.अधोसंरचना विकास – अधोसंरचना के विकास में यह ध्यान रखा जाये कि इन अधोसंरचनाओं से समाज के सभी वर्गों को आवश्यकतानुसार लाभ मिल सके, विशेषकर वंचित समुदायों के लोगों के विकास को ध्यान में रखकर नियोजन किया जाये ।
ग.सामाजिक न्याय – पंचायत के महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना एक अत्यन्त संवेदनशील तथा आवश्यक कार्यों में सम्मिलित है । इसके लिये पंचायतों से अपेक्षित है कि वे समाज के वंचित समूहों एवं प्रत्येक वचित व्यक्ति के हितों का ध्यान रखें तथा उनके अधिकारों को सुरक्षित रखें । इसके अंतर्गत ग्राम पंचायते को यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके पात्रता अनुसार संविधान तथा शासन द्वारा प्रावधानित सेवाएं व अधिकार जैसे मानवाधिकार, पेंशन, घर, सम्मानजनक रोजगार, महिलाओं के लिये समान काम व समान वेतन/मजदूरी, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशिष्ट प्रावधान, इत्यादि सुनिश्चित किया जाये ।
घ.मानव विकास – राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत में गरीबी व कुपोषण उन्मूलन, शिक्षा के विश्वव्यापीकरण करने, महिलाओं का सशक्तिकरण करने व लैंगिक समतुल्यता को प्रोत्साहित करने, शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने, गंभीर बीमारियों से लड़ने, पर्यावरण में सुधार लाने तथा स्वच्छता सुनिश्चित करने के वृहत मानव विकास व 2015 तक निर्धारित मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स तथा 2015 के उपरान्त सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आधारित 'पंचायत विकास लक्ष्यों' के प्राप्त करने में एकीकृत रणनीति की आवश्यकता है ।

उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यों के मध्य अभिसरण तथा परिणाम आधारित संसाधनों के प्रबंधन के माध्यम से जमीनी स्तर पर कम लागत में मानव विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है ।

वर्तमान में मानव विकास के इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य शासन द्वारा कई अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं । इनमें से कई प्रमुख योजनाएं जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम पंचायत एवं ग्रामीण विकास के सहयोग से त्रि–स्तीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही हैं । इसके अतिरिक्त चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश अंतर्गत अनाबद्ध राशि भी प्रदाय की जाती है । 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को उल्लेखित 29 विषयों में अधिकारों के प्रत्यायोजन किये जाने का प्रावधान किया गया है । इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के विकास से संबंधित अन्य संबंधित सेक्टरों के विषय में भी ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है । ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित उक्त सेक्टरों से संबंधित योजनाओं का ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट योजना (जी.पी.डी.पी) अंतर्गत निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं किया जाना है ।

2.योजना में केवल अधोसंरचना निर्माण पर ही ध्यान केन्द्रित ना हो एवं सामाजिक सेक्टर के कार्यों व मूलभूत सेवा सुविधाओं पर भी ध्यान केन्द्रित हो । (नोटः– 14वें वित्त आयोग अंतर्गत पंचायतों द्वारा मूलभूत सेवाओं के दिये जाने को विशेष आधार बनाया गया है ।)
3.नो कॉस्ट एवं लो कॉस्ट गतिविधियॉ – विकास के कार्यों में कई ऐसे कार्य होते हैं जिनमे लागत शून्य या न्यून (कुछ नहीं अथवा कम) होती है । कई बार बिना राशि की आवश्यकता के भी व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है अथवा पूर्व से उपलब्ध संसाधनों को नये तरीके से उपयोग करके संसधनों की कमी को पूरा किया जा सकता है । ऐसी गतिविधियों/ कार्यों को नो कॉस्ट एवं लो कॉस्ट गतिविधियॉ के रूप में योजना में सम्मिलित किया जा सकता है। अतः, इन नो कॉस्ट एवं लो कॉस्ट गतिविधियों के महत्व को समझते हुए ऐसी गतिविधियों को लिया जा सकता है, जिनमें लागत नहीं या कम होती हो परन्तु विकास में उनका परिणाम दूरगामी और महत्वपूर्ण होता हो, जैसे यदि स्थानीय लोग एवं महिलाएं मिल कर तय कर ले की पंचायत क्षेत्र में पूर्णतः शराब–बंदी होगी तो इस प्रकार के कार्य में लागत नहीं लगती लेकिन इससे कई परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति सुधर सकती है जिससे स्थानीय विकास में तेजी आ सकती है । उसी प्रकार खुले में शौच से मुक्ति, कुपोषण से मुक्ति जैसे कार्यों में मात्र व्यवहार परिवर्तन से कई बातें हासिल हो सकती हैं ।
4.''ग्राम पंचायत विकास योजना'' को मान्य किये जाने हेतु जनभागीदारी से बनाया जाना एवं ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है । बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान योजना (जी.पी.डी.पी) हेतु समिति द्वारा अनुशंसा हेतु मान्य नहीं की जायेगी ।

VOLUME - 6 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2017

सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स (एस.डी.जी) :–

वर्ष 2000 से 2015 तक विश्व स्तर पर मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स अर्थात् सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वैश्विक लक्ष्य रखा गया जिसमें आठ लक्ष्य रखे गये थे ।

मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स – सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य

लक्ष्य एक	गरीबी उन्मूलन एवं कुपोषण उन्मूलन	लक्ष्य पांच	मातृ मृत्यु दर में कमी लाना
लक्ष्य दो	प्राथमिक शिक्षा का विश्वव्यापीकरण	लक्ष्य छः	गंभीर बीमारियों से बचाव एवं नियंत्रण
लक्ष्य तीन	लैंगिक समतुल्यता एवं महिला सशक्तिकरण	**लक्ष्य सात**	पर्यावरणीय संवहनीयता (वन आच्छादन,सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता)
लक्ष्य चार	शिशु मृत्यु दर में कमी लाना	लक्ष्य आठ	वैश्विक भागीदारी

वर्ष 2015 तक एम.डी.जी लक्ष्यों की समय सीमा वर्ष 2015 तक प्राप्ति में विश्व स्तर पर हुए कार्य निष्पादन के आधार पर मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स के इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय सीमा को 2015 से आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में 2015 से लेकर 2030 तक के लिये 'सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स' (एस.डी.जी) अर्थात् 'सतत् विकास लक्ष्य' के नाम से लिया जा रहा है जिनमें अभी 17 लक्ष्यों एवं उनके अंतर्गत को रखा गया है ।

सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स – सतत् विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्य

लक्ष्य 1	गरीबी का अंत No Poverty	लक्ष्य 11	स्थायी शहरें एवं समुदाय Sustainable Cities and Communities
लक्ष्य 2	शून्य भूखमरी Zero Hunger	लक्ष्य 12	जिम्मेदार खपत एवं उत्पादन Responsible Consumption and Production
लक्ष्य 3	अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण Good Health and Wellbeing	लक्ष्य 13	जलवायु कार्यवाही Climate Action
लक्ष्य 4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा Quality Education	लक्ष्य 14	जल के नीचे का जीवन Life below Water
लक्ष्य 5	लैंगिक समतुल्यता Gender Equality	लक्ष्य 15	भूमि पर जीवन Life on Land
लक्ष्य 6	स्वच्छ जल एवं स्वच्छता Clean Water and Sanitation	लक्ष्य 16	शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थान Peace, Justice and Strong Institution
लक्ष्य 7	सस्ती एवं स्वच्छ उर्जा Affordable and Clean Energy	लक्ष्य 17	लक्ष्यों के लिये भागीदारी Partnerships for the Goals
लक्ष्य 8	सम्मानजनक काम और आर्थिक विकास Decent Work and Economic Growth		
लक्ष्य 9	उद्योग, नवाचार एवं मूलभूत संरचना Industry, Innovation and Infrastructure		
लक्ष्य 10	असमानताओं में कमी Reduced Inequalities		

उपरोक्त वृहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के निम्नानुसार बिन्दुओं पर कार्य किया जाना आवश्यक है जिन्हें ग्राम पंचायतों द्वारा हमर गांव–हमर योजना की नियोजन प्रकिया में ध्यान देना उचित होगा :–

क्रमांक	लक्ष्य	पंचायत एवं ग्रामीण विकास हेतु रणनीति
1.	गरीबी का अंत No Poverty	▪ पंचायतों द्वारा रोजगार एवं आजीविका संबधी कार्य ▪ कौशल उन्नयन ▪ स्व–रोजगार को प्रोत्साहन ▪ स्व–सहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास ▪ ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिये आवास ▪ ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिये वर्ष भर काम ▪ दिव्यांग, कमजोर वर्ग के लोगों के लिये आजीविका सुनिश्चितता
2.	शून्य भूखमरी Zero Hunger	▪ पंचायतों द्वारा मूलभूत मद से किसी भी समय 1 क्विंटल अनाज रखना ताकि कोई भूख से पीड़ित ना हो ▪ पंचायतों द्वारा स्कूलों में मध्यान भोजन की निगरानी ▪ पंचायतों द्वारा 0 से 03 वर्ष के बच्चों के सुपोषण
3.	अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण Good Health and Wellbeing	▪ शिशु मृत्यु दर में कमी लाना ▪ मातृ मृत्यु दर में कमी लाना ▪ गंभीर बीमारियों से मुक्ति ▪ ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना

VOLUME - 6 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2017

4.	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा Quality Education	▪ ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता की निगरानी ▪ स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता की निगरानी ▪ शाला त्यागी बच्चों को वापस स्कूल में लाने हेतु प्रयास करना ▪ किशोरियों के माहवारी संबंधी स्वच्छता एवं उससे संबंधित मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना तथा स्कूलों में व्यवस्था सुनिश्चित करना ▪ स्कूलों में लड़के एवं लड़कियों, दिव्यांगों हेतु पृथक–पृथक शौचालय सुविधा ▪ विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों हेतु स्पेशल शिक्षा हेतु व्यवस्था – पाठ्यक्रम, शिक्षक, रैंप, शौचालय ▪ स्कूली बच्चों की सुरक्षा ▪ कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु शिक्षा – जैसे आदिवासी बच्चियों हेतु हॉस्टल, आने–जाने हेतु साईकल की व्यवस्था
5.	लैंगिक समतुल्यता Gender Equality	▪ पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी एवं भूमिका ▪ लड़के एवं लड़कियों को शिक्षा हेतु समान अवसर सुनिश्चित करना ▪ महिला एवं पुरूष को समान कार्य हेतु समान भुगतान सुनिश्चित करना ▪ महिनाओं सशक्तिकरण – स्व–सहायता समूहों का सुदृढिकरण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, स्थानीय स्व–शासन में सशक्त भूमिका, ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान निर्माण एवं विकास में भूमिका, ग्राम सभा मोबिलाईजेशन में भूमिका,
6.	**स्वच्छ जल एवं स्वच्छता** Clean Water and Sanitation	▪ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल तक पहुॅच सुसाध्य करना ▪ आवासीय स्वच्छ पेयजल आपूर्ति/उपलब्धता – नल–जल ▪ ओ.डी.एफ ग्राम एवं ग्राम पंचायत – स्वच्छ समुदाय ▪ पेयजल स्त्रोतों की गुणवत्ता – कुएं, हैण्डपंप, तालाबों की स्वच्छता सुनिश्चित करना ▪ महिलाओं व किशोरियों की स्वच्छता हेतु विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देना ▪ प्रदूषण घटाना एवं कचरा प्रबंधन, खतरनाक रसायनों के प्रवाह को न्यूनतम करते हुए जल की गुणवत्ता में सुधार लाना एवं अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करना तथा जल के पुनः उपयोग तथा री–साईक्लिंग को प्रोत्साहित करना ▪ वर्षा के जल का संग्रहण – रेन वाटर हारवेस्टिंग ▪ जल स्तर में वृद्धि हेतु वाटरशेड प्रबंधन ▪ सभी सेक्टरों (जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य इत्यादि) में जल उपयोग व संरक्षण दक्षता बढ़ाना एवं जल की कमी से जूझ रहे लोगों की संख्या कम करना ▪ सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को लागू करना ▪ वर्ष 2020 तक जल संबंधी पारिस्थितिक तंत्र (water related ecosystems) जैसे पहाड़, वन, झील, नदियों का संरक्षण ▪ पेयजल एवं स्वच्छता के संबंध में स्थानीय सरकारों का क्षमता वर्द्धन – विशेषकर जल संरक्षण/संचयन, विलवणीकरण, जल प्रबंधन दक्षता, अपशिष्ट जल उपचार, रीसाइक्लिंग एवं पुनः उपयोग प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना ▪ जल एवं स्वच्छता प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित एवं सुदृढ़ करना

7.	सस्ती एवं स्वच्छ उर्जा Affordable and Clean Energy	▪ ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय उर्जा को प्रोत्साहित करना ▪ स्वच्छ समुदाय – स्वच्छ उर्जा – उदाहरण – ओ.डी.एफ ग्राम पंचायतों को उज्ज्वला योजना में प्राथमिकता ▪ 2030 तक सभी को भरोसेमंद एवं आधुनिक उर्जा सेवाओं तक पहुॅच बनाना
8.	सम्मानजनक काम और आर्थिक विकास Decent Work and Economic Growth	▪ सभी के लिये सम्मानजनक काम सुनिश्चित करना ताकि कोई अमानवीय कार्य करने हेतु मजबूर ना हो ▪ महिलाओं को कार्यस्थल में सुरक्षा – यौन उत्पीड़न से सुरक्षा ▪ कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण – उद्योगों एवं अन्य कार्यक्षेत्रों में सुरक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा
लक्ष्य 9	उद्योग, नवाचार एवं मूलभूत संरचना Industry, Innovation and Infrastructure	▪ 3000 से अधिक जनसंख्या वाली खुले में शौचमुक्त हो चुकी ग्राम पंचायतों में शहर जैसी सुविधाओं का विकास
लक्ष्य 10	असमानताओं में कमी Reduced Inequalities	▪ सभी वर्गों को पात्रतानुसार व प्रावधानों के अनुरूप समान सुविधाएं
लक्ष्य 11	स्थायी शहरें एवं समुदाय Sustainable Cities and Communities	▪ प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जातिगत सर्वेक्षण में चिन्हांकित पात्र परिवारों को ग्राम सभा के अनुमोदन से चरणबद्ध तरीके से पक्के आवास सुसाध्य करना
लक्ष्य 12	जिम्मेदार खपत एवं उत्पादन Responsible Consumption and Production	▪ उत्पादन वृद्धि में कृषकों, पशुपालकों, मत्स्यपालन, लघु वनोपज, मूल्यवर्द्धन से संबंधित स्व–सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना ▪ उत्पादन वर्द्धन हेतु स्थानीय तकनीक को प्रोत्साहित करना एवं प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना
लक्ष्य 13	जलवायु कार्यवाही Climate Action	▪ जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदा (जैसे बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि इत्यादि) से निपटने के लिये प्रबंधन
लक्ष्य 14	जल के नीचे का जीवन Life below Water	
लक्ष्य 15	भूमि पर जीवन Life on Land	
लक्ष्य 16	शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थान Peace, Justice and Strong Institution	▪ पंचायतों का क्षमता विकास ▪ ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण ▪ पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों व ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण
लक्ष्य 17	लक्ष्यों के लिये भागीदारी Partnerships for the Goals	▪ विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय ▪ ग्राम पंचायतों के विकास में अभिसरण के माध्यम से विकास में साझेदारी

विज़न तथा पर्सपेक्टिव प्लान निर्माण :–

ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान (जी.प.डी.पी) निर्माण मार्गदर्शिका का यह प्रयास है कि ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र की योजना बनाने के प्रत्येक चरण में यह ध्यान में रखें कि किस प्रकार स्थानीय लोगों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा । इसके लिए सर्वप्रथम ग्राम पंचायतें सहयोगी संस्थाओं, व्यक्तियों, विभागीय अमले के साथ लोगों की जनभागीदारी से अपने ग्राम पंचायत के लिए 20 से 10 वर्षों का एक विज़न बनाया जाना उचित होगा। उसके बाद ग्राम पंचायत के विकास के लिये 05 वर्षों में लिये जाने वाले कार्यों का पर्सपेक्टिव प्लान अनिवार्य रूप से बनाकर बनाकर उसमें से प्राथमिकता पर लिये जाने वाले कार्यों को चिन्हांकित एवं प्राथमिकीकरण करते हुये 01 वर्ष हेतु वार्षिक ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान का निर्माण किया जायेगा ।

ग्राम पंचायत विज़न (Vision) का अर्थ है, ग्राम पंचायतें अपनी पंचायत को अगले 20 या दस वर्षों में कैसा देखना चाहती हैं अर्थात् ग्राम पंचायत हेतु 'दूरदृष्टि'। यह एक आदर्श स्वप्न की तरह हो सकता है कि हमारा भविष्य कैसा हो । यही प्रारंभिक सोच हमारे भविष्य की दिशा और दशा तय करेगी और ग्राम पंचायत में विकास के लिये किये जाने वाले कार्यों का आधार बनेगी । परन्तु प्रयास यह करना चाहिये कि विज़न ज्यादा से ज्यादा यथार्थवादी हो एवं वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये बने । विज़निंग एक्सरसाइज स्वयं ग्राम पचांयत / ग्राम सभा के सदस्यों ही द्वारा किया जाना है जिन्हें

योजना स्वयं क्रियांन्वित करना है । अतः यथार्थ से परे विज़न बनाने से उन्हें स्वयं उनके क्रियान्वयन में कठिनाई होगी ।

उदाहरण :– हमारी ग्राम पंचायत में (1) सभी लोग पढ़े–लिखें हों, (2) सभी के पास आजीविका व रोजगार के अवसर हों ,(2) सभी के घरों में साफ और सुरक्षित पीने का पानी नलों में आए ताकि हमारे घर के लोगों को बाहर से पानी लाने की आवश्यकता ना पड़े, (3) शत्–प्रतिशत लोगों के पास रोजगार हो ताकि कोई गरीबी से पीड़ित ना हो, (4) एक भी बालिका और बालक कुपोषित नहीं हो, (5) पंचायतें विशेषकर महिलाओं और अपने क्षेत्र के पिछड़े वर्ग के सीमान्त, अन्त्योदय, आदिवासी परिवारों का विशेष ध्यान रखती हों और उनको सशक्त करती हों, (6) अकारण व मूलभूत स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के अभाव में किसी भी बच्चे या गर्भवती/धात्री महिला की मृत्यु ना हो (7) प्रत्येक परिवार के पास शौचालय–युक्त आवास हो इत्यादि ।

पंच वर्षीय योजना

विज़निंग के पश्चात् सभी स्थानीय लोगों की सहभागिता से ग्राम पंचायतें अपने पंचायत के लिए पांच वर्षों में लिए जाने वाले कार्यों की पहचान कर उनकी सूची बना लें ताकि आने वाले वर्षों में लिए जाने वाले संभावित विकास कार्यों की सूची तैयार हो सके ।

इसके लिए ग्रामवार सूची बना ले जिसमें अगले पांच सालों में लिए जाने वाले कार्य, उनकी संख्या, संक्षिप्त भौतिक विवरण और संभावित दर और संभावित राशि आदि का उल्लेख हो । ध्यान रखें कि यह सूची आपके क्षेत्र की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए सहायक होगी । इस सूची के आधार पर कोई राशि आबंटित नहीं होगी । यह आपके ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में एक महत्वपूर्ण सहयोगी उपकरण होगी । जितना स्पष्ट ग्राम पंचायत की पांच वर्षीय कार्यसूची होगी, उतनी ही मदद ग्राम पंचायत को वार्षिक योजना बनाने में होगी ।

उदाहरण :– ग्राम पंचायतें वर्ष 2016–17 के अपूर्ण अथवा नियोजित कार्यों को सम्मिलित करते हुए 2017 से 2022 का पंच वर्षीय योजना बना सकती है ।

वार्षिक योजना :–

वार्षिक योजना उपरोक्तानुसार तैयार किये गये पंच वर्षीय योजना में से प्राथमिकता के आधार पर एक वर्ष हेतु बनायी जायेगी ।

ग्राम पंचायत स्तर के नियोजन को कार्यान्वित करने पर नीतिगत निर्णय :–

3.1.1 ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रति एवं विस्तार नीतिगत निर्णय

राज्य, ग्राम पंचायत स्तर के नियोजन को कार्यान्वित करने के लिए, उपयुक्त स्तर पर, तुरंत नीतिगत निर्णय ले सकता है। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की प्रति एवं विस्तार पर स्पष्टता रहनी चाहिए। आज–कल, अधिकांश राज्यों में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और राज्यों द्वारा निर्धारित अन्य स्कीमों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पृथक रूप से योजनाए तैयार की जा रही है। इसके साथ ही, ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न स्कीमों के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए ग्राम पंचायतें ही मूल एजेंसियां है। इसके अतिरिक्त उन्हे प्रमुख स्कीमों की निगरानी एवं स्थानीय संस्थानों के कार्यकरण की नीगरानी की भूमिका दी गई है और उन्हे विभिन्न कार्यक्रम से संबद्ध समितियों, विशेषकर स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, जलसंभर/वाटर सेड प्रबंध, शिक्षा, पोषण, सामाजिक वानिकी, जैव–विविधता एवं जन विवरण से संबंधित समितियों में शामिल किया जाता है। इसके साथ ही, अधिकांश ग्राम पंचायतें अपने परंपरागत सिविल कार्य, विशेषकर स्वच्छता एवं पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्यों को निष्पादित कर रही है।

चौदहवें वित्त आयोग अनुदान के साथ, ग्राम पंचायतों के अधीन सभी संसाधनों को अभिसरित (कन्वर्ज) ओर इन विभिन्न प्रकार्यों को एकीकृत कर, एक ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने के तौर–तरीकों में बदलाव आना चाहिए। यह बजटन में सक्षमता, कार्य निष्पादन में और अधिक जवाबदेही तथा विकास की बेहतर सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है। इसके अतिरिक्त, चौदहवें वित्त आयोग अनुदान को मात्र मूल सेवाओं जैसे स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़के, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, खेल के मैदान, पार्क, कबिस्तान श्मशान घाट एवं ग्राम पंचायतों को विधि द्वारा अंतरित अन्य सेवाओं के लिए उपयोग में लाया जाना है। इसे निम्नलिखित तत्वों के साथ एकीकृत की जानी है :–

निर्धनता में कमी

ग्राम पंचायत विकास योजना में ग्राम पंचायत के अंदर निर्धनता पैटर्न की पहचान कर निर्धन वर्गों व इलाकों के लिए मूलभूत सेवओं को प्राथमिकता देकर, यह सुनिश्चित कर कि विभिन्न कानूनों, कार्यक्रमों एवं स्कीमों (पेसा अधिकार, वन अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण) के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी हकदारियां प्राप्त की जा रही है। विशेषकर मनरेगा उपकरण एवं एनआरएलएम के अन्तर्गत स्थापित निर्धन लोगों के संस्थानों के माध्यम से आजीविका में सुधार जैसे विभिन्न स्कीमों व कार्यक्रमों को अभिसरित कर ठोस रूप से निर्धनता में कमी लाने पर ध्यान होना चाहिए।

मानव विकास

ग्राम पंचायत विका योजना में कौशल विकास, स्वास्थ्य, विशेषकर लोक स्वास्थ्य और आहार एवं पोषण, बाल लिंगानुपात इत्यादि समेत साक्षरता एवं शिक्षा से जुड़े निश्चित घटक होने चाहिए। मुख्य ध्यान, मानव विकास सेवाओं की गुणवत्ता में, विशेषकर आंगनबाड़ी, विद्यालयों,अस्पतालों, उन तक पहुच बढ़ाकर और संबंधित ढ़ाचागत संरचना को उन्नत बनाकर, राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप स्पष्ट परिणम प्राप्त करने के जरिए, सुधार लाने पर होना चाहिए।

सामाजिक विकास

ग्राम पंचायत विकास योजना का लक्ष्य कमजोर एवं हाशिए पर के वर्गों जैसे कि :–

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिसमें कमजोर जनजातीय समूह एवं अल्पसंख्यक शामिल है।
- अशक्त व्यक्ति
- वृद्ध/बूढ़े व्यक्ति
- महिलाएं
- बंधुआ मजदूर, बाल श्रमिक, गैर–अधिसूचित जनजाति एवं खाानाबदोश, विपदाग्रस्त प्रवासी, हाथ से सफाई करने वाले, हिजड़ा, अवैध व्यापार के शिकार व्यक्ति इत्यादि।
- जैसे कमजोर वर्गों के कल्याण के स्तर में सुधार लाने पर लक्षित होना चाहिए।

इन वर्गों के लिए निर्धनता में कमी लाने व मानव विकास और आर्थिक विकास हस्तक्षेप करने के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत विकास योजना में इन

वर्गों की स्थिति को प्रभावित करने वाले सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने का प्रयास होना चाहिए।

आर्थिक विकास

ग्राम पंचायतों को ऐसी गतिविधियां चलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो स्थानीय उत्पादकता को बढ़ाएं, रोजगार एवं रोजगारपरकता को बढ़ाएं, स्थानीय उत्पाद के लिए बाजार तक पहुंच कायम करें एवं उनकी विक्री क्षमता में सुधार लाएं, मूल्य वर्धन को प्रोत्साहित करें, बाजार, तालाब, मत्स्य उद्योग, पुशुपालन विकास, बागवानी विकास, भूमि विकास, लघु सिंचाई की टंकीतालाब दत्यादि जैसी उत्पादक ढ़ाचागत संरचनाएं सृजित करें। जहां मुख्य ध्यान कृषि एवं सबंद्ध क्षेत्रों पर रहेगा, वहीं स्थानीय विनिर्माण, विशेषकर परंपरागत उद्योग एवं सेवाओं, साथ ही वित्तीय समावेश पर भी, ध्यन रहेगा।

परिस्थितिकी का विकास

इसमें जल निकाय, चारागाह, घास स्थनल, जल संग्रहण क्षेत्र एवं स्थानीय वन जैसे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का रख–रखाव एवं उन्नयन और लघु वन उत्पाद, ईंधन की लकड़ी, पशुचारा, औषधीय पौधे इत्यादि जैसे जैविक संसाधनों का संरक्षण एवं उनके स्थायी उपयोग के तरीकों को शामिल किया जाना चाहिए। एकीत जल संभर (वाटरशेड) प्रबंध इस हेतु आधारभूत योजना होगी। ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत प्रारंभ की गई गतिविधियां पर्यावरण के अनुकूल और जैव–विविधता को बढ़ाने वाली होनी चाहिए।

लोक सेवा की सुपुर्दगी (सर्विस डिलेवरी)

शासन संबंधी सेवाएं जैसे कि प्रमाण पत्र जारी करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, लाइसेंस/परमिट जारी करना और कल्याणकारी सेवाएं जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इन सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी पर जोर देते हुए, लोक सेवा की सुपुर्दगी को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्राम पंचायत विकास योजना में सेवा सुपुर्दगी (सर्विस डिलेवरी) की गुणवत्ता एवं मौजुदा परिसंपत्तियों के समुचित रख–रखाव उपयोग पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ग्राम पंचायतों को बिना किसी लागत अथवा कहुत कम लागत वाले उपायों से स्थानीय विकास व्राप्त करने पर विशेष जोर देना चाहिए। ग्राम पंचायतों को ऐसा करने की सलाह देने के लिए परामर्शिका जारी की जानी चाहिए।

सुशासन

प्रभावी लोक सेवा सुपुर्दगी (सर्विस डिलेवरी) के साथ–साथ ग्राम पंचायतों को प्रतिभागिता, विशेषकर हाशिए पर के वर्गों की प्रतिभागिता, पारदर्शिता एवं अग्र सक्रिय पकटन, (प्रोएक्टिव डिसकलोजर) समुदाय आधारित निगरानी एवं बजट और व्यय में विधिवत प्रक्रियाओं से संबंधित क्रियाविधि एवं प्रणली को विकसित करने की जरूरत है। निर्धन लोगों, विशेषकर स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं के संस्थानों के साथ, निकट साझा भी जरूरी है। इसके लिए नागरिकों का एक चार्टर समेत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए "सुशासन" योजना आवश्यक होगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना का क्रियान्वयन :–

ग्राम पंचायत विकास योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जावेगा। सभी संबंधित विभाग अपने क्षेत्रीय लोक सेवकों के माध्यम से क्रियान्वयन में भागीदार होंगे। सभी संबंधित विभागों के द्वारा योजना में सम्मिलित विषयों के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जावेगी। ऐसे विषय जो ग्राम पंचायत के प्रशासनिक एवं विलीप सीमा के बाहर होंगे या उसको सौंपे गये दायित्वों के अतिरिक्त होंगे उनका क्रियान्वयन संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा। जनपद पंचायत द्वारा इनके मध्यम समन्वय किया जावेगा। जिला पंचायत स्तर पर जिले के अंदर ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार विकास योजना के क्रियान्वयन में जिला स्तर से निरंतर पर्यवेक्षण किया जाएगा।

समुचित नियोजन हेतु ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान (जी.पी.डी.पी) तैयार करने हेतु इस विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक/पंचा.संचा./एफ–101/2015/265, दिनांक 31.08.2015 के माध्यम से पूर्व में ही निर्देश जारी किया जा चुका है । अतः तदानुसार चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार समस्त ग्राम पंचायते कार्यों को लिये जाने हेतु अपनी–अपनी ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएं तैयार करने के उपरान्त ही 14वें वित्त आयोग अंतर्गत दिशा–निर्देश अनुसार अंतरित राशि व्यय कर सकेंगी । इस हेतु आवश्यक है कि 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग (मूलभूत) अंतर्गत लिये जाने वाले कार्यों को पृथक–पृथक अध्याय के रूप में सम्मिलित किया जाये एवं क्रमशः 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग अंतर्गत दिशा–निर्देश अनुसार अनुमोदित कार्यों पर ही संबंधित राशि व्यय की जा सकेंगी ।

BIBLIOGRAPHY

1. Aiyar, Mani Shankar, 1995 Rural Properties': What do the poor Want? Sunday, Vol. 22(21), 16-18.
2.Aiyar, Mani Shankar, 2002 "Panchayati Raj: The Way Forward" Economic and Political Weekly, Agust 3:3293-3297.
3.Aiyar Mani Shankar, 2012 "Inclusive Growth through Inclusive Governance" , http:/www.inclusion.in, February 3.
4.Alagh, Y.K. 2005 Panchayti Raj and Planning in India: Participatory Institutions and Rural Roads, Mimeo.
5.Alok, V.N. 2006 "Local Government Organization and Finance: Rural India", in Anwar Shah (ed.), Local Governance in Developing Countries, Washington, The Word Bank.
6.Alok,VN. 2008 "The Role of State Finance Commission in Fiscal Decentralization in India", in M A Oommen (ed.), Fiscal Decentralization to Local Governments in India, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing.

7.Behar, Amitabh 2001 "Gram Swaraj : Experiment in Direct Democracy", Economic and Political Weekly, 36(10): 823-26.
8. Behar, Amitabh and Yogesh Kumar 2002 "Decentralization in Madhya Pradesh, India: From Panchayati Raj to Gram Swaraj", (1995 to 2001), Working Paper, 170, London, Overseas Development Institute.
9.Government of India. 2001 Report of the Task Force on Panchayati Raj Institutions, New Delhi, Planning Commission.

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- Directory Of Research Journal Indexing
- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- DOAJ
- EBSCO
- Crossref DOI
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Review Of Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.ror.isrj.org